PWD2-CW/R/58/2022-III-2-Public Works Department 31/3/26

I/383373/2026

1652

ई पत्रावली संख्या– 31691

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

CE(P) 31/3

प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 27 मार्च 2026,

810

1/4/26

विषयः राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडाऊन के विकासखण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत कोटडीसैण के समीप ग्राम पैयागढ़ी रजबौ मल्ला दियोड़ मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (पुनरीक्षित विस्तृत आगणन) (**Project Id 3888**) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

1397

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2006–2007 में विषयगत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य(प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–2755//III-2/06/52(प्रा0आ)/2006 दिनांक 10.11.2006 के द्वारा रू0 258.75 लाख कुल 15.00 कि0मी0 हेतु प्रदान की गई है।

EE(P-1) 02/04

2– उक्तानुसार प्रदत्त स्वीकृति के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा उक्त मोटर मार्ग के उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन का परीक्षण शासन स्तर पर तकनीकी सलाहकार द्वारा किये जाने के उपरान्त औचित्यपूर्ण सम्पूर्ण लागत रू0 427.33 लाख (रू0 258.75 लाख पूर्ण स्वीकृत लागत + रू0 168.58 लाख अतिरिक्त लागत) की प्रशासकीय एवं वित्तीय पुनरीक्षित स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :–

CAO(P1) 2/4/26

i.	उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश संख्या–2755//III-2/06/52(प्रा0आ)/2006 द्वारा मूल स्वीकृत लागत रू0 258.75 लाख तथा प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 168.58 लाख अर्थात कुल लागत रू0 427.33 लाख में उक्त कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी। शासनादेश 2755//III-2/06/52(प्रा0आ)/2006 दिनांक 10.11.2006 को केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।
ii.	विषयगत कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासन एवं विभागीय स्तर पर समय–समय पर आहूत बैठक में लिये गये निर्णयों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
iii.	पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

iv.	कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी ।
v.	कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें ।
vi.	ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में कमइपजंइसम आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
vii.	निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
viii.	स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।
ix.	पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
x.	कार्य कराने से पूर्व आगणन में मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित स्थलों के OGL/X-Section रिकार्ड कर लिये जाये तथा मक डिस्पोजल का भुगतान इन स्थलों के Final Level के आधार पर वास्तविक डिस्पोजल की मात्रा, आंकलित कर की जाए तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा X-Section की चौकिंग सुनिश्चित कर ली जाय।
xi.	कार्यस्थल में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व , समय समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एस0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखी जाये।

2. उक्त योजना पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0 22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सडक निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–01 चालू निर्माण कार्य–53 वृहद निर्माण कार्य (5054–04–800–03–01 से स्थानान्तरित) की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।

3. ये आदेश वित्त अनुभाग–2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक– I/ /383218/2026 दिनांक 27.03.2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
Rajendra Singh Patiyal
Date: 27-03-2026
18:06:49

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
   सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधीक्षण अभियन्ता, द्वादश वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
8. अधिशासी अभियन्ता, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, लैन्डाउन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
संयुक्त सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून
(Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand)

E-mail: p1hodpwduk@gmail.com
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक–413 /20याता०'क'(वित्तीय स्वीकृति)नियो०–।/2026,

दिनांक–04/अप्रेल/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 12 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
3. अधिशासी अभियन्ता, नि० खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडाउन।
4. आई०टी०सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक वर्ग), विभागाध्यक्ष कार्यालय,लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

04/04/26

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून